

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

राजस्थान-सरकार

क्रमांक/रीडर/2024/ 190/2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय:- प्र.सं. 190 / 2024 अनवान भैरू पिता देव रेगर निवासी थलखुर्द बनाम
मगना पिता लक्ष्मण कहार निवासी रूपपुरा, रामा पिता नामालूम कर निवासी रूपपुरा,
लादू पिता तेजा कहार निवासी रूपपुरा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयकित अनवान के प्रकरण में ग्राम थलखुर्द प.ह.
थलकला आराजी सं. 454/72 कुल कित्ता 01 रकबा 0.4856 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों
की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त
किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा
करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष
के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये
नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं।
पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

भेरू पिता देव रेगर निवासी थलखुर्द

बनाम

मगना पिता लक्ष्मण कहार निवासी रूपपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 190/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म व तारीख में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम थलखुर्द प.ह. थलकला आराजी सं. 454/72 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है ग्राम थलखुर्द प.ह. थलकला आराजी सं. 454/72 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p>	

आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)